भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3778
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियाँ

3778. श्री दुलू महतोः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सेल सहित कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल कुछ विशेष बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी खराब हो जाने आदि के कारण मृत्यु होने पर ही दी जाती है;

(ख) क्या यह स्वीकार्य तथ्य है कि अन्य गंभीर और अपरिभाषित बीमारियों के कारण मृत्यु होने पर आश्रितों को समान अवसर नहीं मिलता, जिसके कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार अनुकंपा नियुक्ति नीति में संशोधन करने और मृत्यु के कारण की परिभाषा के बजाय सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या सरकार सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक समान दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है. ताकि सभी मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को समान अवसर मिल सके, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) सहित इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई), रोजगार के दौरान या उसके कारण घटित दुर्घटना से मुत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सेल उन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान करता है जिन्हें कुछ दुर्बल करने वाली क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित होने के कारण अक्षम घोषित किया गया है।

कुछ सीपीएसई ने मृतक कर्मचारियों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए वैकल्पिक कल्याणकारी उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में वित्तीय सहायता योजनाएँ, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता और चुनिंदा कर्मचारी लाभों तक निरंतर सुलभता शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शोक संतप्त परिवारों को उन मामलों में भी सार्थक सहायता प्राप्त हो जहाँ अनुकंपा नियुक्ति लागू न हो। ये प्रयास प्रभावित परिवारों के सामाजिक और वित्तीय कल्याण की रक्षा के लिए सीपीएसई की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****